# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 04/2021
जी.सी.एस.एम. नं. 2021/142
किस्म – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.02.2021

1. प्रकाश उम्र 68 वर्ष
2. चिम्मन उम्र 66 वर्ष
3. रमेश उम्र 62 वर्ष
4. सुरेश उम्र 58 वर्ष ।

पुत्रगण कल्ला जाति बैरागी निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

प्रार्थी/सायलान

बनाम

1. रामखिलाड़ी उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री पूरना जाति बाबाजी निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. जलसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र रामभरोसी जाति खटीक निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राजस्थान)

अप्रार्थी/गैरसायलान

उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक कुमार विहारिया (प्रार्थीगण की ओर से)
श्री रामकिशन पूनिया (अप्रार्थीगण की ओर से)

## निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवीन शीर्षक दावा न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया गया है। जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह है आराजी खसरा नम्बर 1038/0.34 स्थित ग्राम लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर के सायलान समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज है प्रतिवादीगण का इस भूखण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। यासलान की वंशावली निम्न प्रकार है। लुढकन के वारिसान वादीगण ही है।

मनोहरदास (मृतक)

1. कल्ला(मृत) — 2.लुढकन(मृत)

1.प्रकाश 2.चिम्मन 3.रमेश 4.सुरेश

3. यह कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्बत 20[illegible] गत नम्बर से निर्मित किया है।

| वर्तमान | गत |
|---|---|
| 1038/0.34 | 866/[illegible] |

4. यह कि गत भू प्रबन्ध कार्यवाही सम्बत 2028 में गत खसरा नम्बर 866/1–[illegible] इस आराजी के गत खसरा नम्बर से निम्न प्रकार निर्मित किया है।

वर्तमान गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

866/1–7 696/1–4,697मिन/0.18

नकल जमाबंदी सम्बत 2035 एवं गत जमाबंदी सम्बत 2020 से 2023 मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है।

5. यह कि गत खसरा नम्बर 696/1–4, 697मिन/0.18 सायलान के पिता स्व. कल्ला की माफी एवं गैर मौरूसी (कृषक) की आराजी रही है। जैसा कि जमाबंदी सम्बत 2011 से 2014 के खाता संख्या 466 एवं खाता संख्या 450 से प्रतीत होता है कि इस प्रकार विवादित आराजी उपरोक्त पर सायलान के पिता को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकार खातेदारी प्राप्त हुये है। और उन्हें इसी के अनुसार राजस्व अभिलेख 2016 से 2019 की जमाबंदी में उपरोक्त आराजी खातेदार काश्तकार भी अंकित कर दिया गया है।

6. यह कि राजस्व कर्मचारियों ने गलती से जमाबंदी सम्बत 2020 लगायत 2023 में इस आराजी पर खाता संख्या 32 के अनुसार कल्ला कारे खातेदार दर्ज करते हुये 1 वैल की काश्त कल्ला की, 1 वैल की काश्त लुढकन की, 1 वैल की काश्त पूरना पुत्र तोता की व 1 वैल की काश्त कन्हैया व लालाराम पुत्र सोनपाल की अंकित कर दी है जो बिना किसी अधिकार व आदेश के की गयी है। इसलिए आरंभ से शून्य रही है।

7. यह कि आगे चलकर नई जमाबंदी सम्बत 2035 में नये नम्बर 866/1–7 पर खातेदार की प्रविष्टिया केवल गैर सायल के पिता स्व. पूरना के नाम करदी है और सायलान के पिता कल्ला का नाम हटा दिया गया है। जिबकि भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार गत जमाबंदी के खातेदारी अधिकारी देने व दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र नही है। इस प्रकार पूरना के नाम की गई शिकमी व खातेदारी व खातेदारी प्रविष्टिया आरंभ से ही शून्य है निरस्तनीय है।

8. यह कि पूरना की मृत्यु उपरान्त उसी गलती के अनुसरण में नये नम्बर 1038/0.34 पर भी इन्द्राज खातेदारी कतई गलत रूप से गैर सायल संख्या 1 के नाम करदी है। जो काबिल निरस्ती के है। आरंभ से ही शून्य है। इन गलत प्रविष्टियों की जानकारी होने पर दिनांक 10.11.2020 को सायलान ने गैर सायल से उनके हक में आराजी मुतनाजा पर इन्द्राज दुरूस्त कराने हेतु कहा तो गैर सायल कतई तौर पर इनकार हो गया और अपने इन गलत प्रविष्टियों का नाजायज लाभ उठाते हुये दिनांक 09.11.2020 को आराजी मुतनाजा का क नाजायज विक्रय पत्र गैर सायल संख्या 2 के हक में करा दिया है। जोकि कतई गलत है। सायल के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। निरस्तनीय है।

9. यह कि तथा कथित विक्रय पत्र 09.11.2020 गैर सायल संख्या 1 ने पाबंदी आदेश दिनांक 22.07.2020 सहायक कलक्टर नदबई के यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुये किया गया है। इसलिये भी शून्य है। गैर सायल संख्या 1 को कोई बयनामा कराने का अधिकार नही रहा हैं इस इनकारी व नाजायज विक्रय पत्र के बने रहने से सायलान के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिये सायलान न्यायालय श्रीमान से यह घोषणा कराने के अधिकारी हैं कि सायलान आराजी मुतनाजा के सामभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज है। गैर सायलान का इस आराजी के किसी भाग से कोई सम्बन्ध नही है। विक्रय पत्र दिनांक 0.11.2020 सायलान के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है।

10. यह कि अब गैर सायलान ने दिनांक 10.11.2020 को सायल को यह खुले आम धमकी दी है। और कहा है कि अब हम गैर सायलान विवादित [illegible] पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकण कराकर जवरन कब्जा [illegible] आराजी मुतनाजा से जवरन बेदखल करेगें। अगर गैर सायलान इस धमकी में सफ[illegible] हो गये सायलान को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी नकद धन राशि से नही [illegible] सकेगी। वदी वजह सायलान गैर सायलान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कराने के अधिकारी है कि गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सायलान आराजी वर्णित खण्ड संख्या 2 प्रार्थना पत्र पर सायलान के अधिपत्य मेक कोई हस्तक्षेप नही करे राजस्व अभिलेख में वयनामा के आधार पर कोई खातेदारी दर्ज नही करावें

11. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरणप व सुविधा व संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सायलान के हक में वखूबी साबित है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैर सायलान की ताफैसला मूल दावा पाबंद किया जावे कि गैर सायलान आराजी वर्णित खण्ड खंख्या 2 प्रार्थना पत्र सायलान के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप नही करे तथा आराजी मुतनाजा का अन्यन्त्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तण नही करें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री पूरनसिंह एड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की ओर से श्री रामकिशन पूनिया एडवोकेट उपस्थित हुऐ। तथा इनकी और से ज़बाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निम्नांकित तथ्यों का वर्णन किया गया। जो इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया जाना स्वीकार है लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नही है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 आंशिक स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा जो सजरा पेश किया गया है। जो अधूरा है जो स्वीकार नही है। क्योकि प्रार्थीगण सायलान ने मृतक कल्ला के सभी जीवित वारिसानो को वारिस नही बनायागया है जबकि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 4 के अलावा मृतक कल्ला की चार पुत्रिया क्रमशः होरा, जयदेई, हरदेई, विमला है। जो वर्तमन में जीवित हैं तथा उनको भी पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है इसलिए सजरा स्वीकार नही है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 आंशिक स्वीकार हैं
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार नही है क्योकि खसरा नम्बर 886 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा जो कि वर्तमान खाता नम्बर 1866 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा से अधिक होता है। अर्थात खाता नम्बर 696 व 697 कुल रकवा 2 बीघा 2 विस्वा होता है। इसलिए गत खसरा नम्बर वर्तमान खाता से रकवा मेल न खाने से स्वीकार नही है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 स्वीकार नही है। क्योकि सायलान के पिता को किस आधार पर किसी नामातंरकरण से सम्पत्ति आई हैं वह कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है
6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 स्वीकार है क्योकि नामांतरकरण सही दर्ज हुआ है जिसका करीबन 50 साल नामांतरकरण हो गये 50 साल पूर्व के नामांतरकरण को आज अदालत में टाइम वार्ड हो ने से दावा स्वीकार नही है। क्योकि उक्त नामांतरकरण कैसे हुआ है यह प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। अगर इनके द्वारा पेश किया जाता तो उसकी अपील करनी चाहिए थी, जो पेश नही किया है। इसलिए उक्त अंकन संवत 2020 लगायत 2023 में खाता सं. 32 में सही अंकन हुआ है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 आंशिक स्वीकार है ... रतना के नाम खातेदारी की प्रविष्टियों सही स्वीकार की है।
8. यह है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 08 आंशिक स्वीकार ... ख.न. 1038 पर अप्रार्थी सं. 01 रामखिलाडी के नाम सही अंकन हो रहा है। अप्रार्थी सं 1 के कब्जे काश्त में था जिसको रहन, वय, मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार था। गैरसायलान ने दिनांक 10.11.2020 को कोई धमकी नही दी क्योकि उक्त आराजी पर एक दावा पूर्व में भी गंगाराम वगै. बनाम रामखिलाडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलक्टर
कठूमर जिला भरतपुर

वगै. पेश किया जा चुका है जो आज भी अदालत में विचाराधीन है। इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र रेसज्यूडी केटा होने की वजह से प्रार्थना पत्र मेन्टनेबिल नही है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 09 स्वीकार नही है। क्योकि सायलान ने अपने मद की अन्तिम लाइन विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2020 गैरसायल सं. 2 के हम में होना स्वीकार किया है जिसको कैंसिल कराने के लिए राजस्व न्यायलय को अधिकार न होकर सिवल न्यायालय को अधिकार है इसलिए उक्त मद स्वीकार नही है। तथा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 अस्वीकार है। क्योंकि गैरसायलान ने दिनांक 10.11.2020 को कोई धमकी नही दी जबकि वयनामा के आधार पर गेरसायल सं. 02 को क्रेय की गई संपत्ति को अपने नाम नामांतरकरण कराने का अधिकार है व हल्का पटवारी ने उक्त नामंतरण अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अंकन भी दिया है। तथा उसी अनुरूप अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को कब्जा भी हस्तांतरण कर दिया है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 स्वीकार नही है। क्योंकि सुंविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति व प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष में बाखूबी साबित है। इसलिए प्रार्थना पत्र का व्यय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074 से 2077 वाके लखनपुर, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 व 2028 वाके ग्रमा लखनपुर , नकल जमाबन्दी संवत 2011 वाके ग्राम लखनपुर, नकल जमाबन्दी संवत 2012–15 वाके ग्राम लखनपुर, नकल जमाबन्दी संवत 2020–23 वाके ग्राम लखनपुर, नकल जमाबन्दी संवत 2035 वाके ग्राम लखनपुर, नकल जमाबन्दी संवत 1995 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पेश कि गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2074–2077 वाके लखनपुर पेश किये गये।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो द्वारा प्रार्थना पत्र की मंद स. 2 में वर्णित विवादित आराजीया त कि रिकॉड़ व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमति जाहिर कि गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया किः–

1.प्राईमाफेरी केस– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89 188 आर.टी.ए. के तहत् खातेदारी घोषणा का पेश किया गया है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1038/0.34 स्थित ग्राम लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर पर स्थित है, और गत खसरा नम्बर 696/1–4, 697मिन/0.18 सायलान के पिता [illegible] की गैर मौरूसी (कृषक) की आराजी रही है। जैसा कि जमाबंदी सम्बत 2011 से 2014 के [illegible] संख्या 466 एवं खाता संख्या 450 से प्रतीत होता है फिर बाद में राजस्व अभिलेख 2016 [illegible] की जमाबंदी में उपरोक्त आराजी खातेदार काश्तकार भी अंकित कर दिया गया [illegible] विभाग द्वारा उक्त विवादित आराजी पूरना के नाम दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थीगण के पिता कल्ला का नाम हटा दिया गया। तथा कुल आराजीयत में से 1 बैल की काश्त प्रतिवादी स. 1 रामखिलाड़ी के पिता पूरना के नाम दर्ज कर दी गई। और उक्त विवादित आराजीयात वर्तमान में बदस्तूर चली आ रही है। रामखिलाड़ी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

Copy - Not Official

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उक्त उक्त आराजीयात को बेचान कर जलसिंह के नाम कर दी गई, और उसका इन्तकाल भी दर्ज हो गया। चूकि वर्तमान में उक्त विवादित आराजी जलसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी स. 2 जलसिंह द्वारा उचित प्रतिफल देखकर उक्त आराजीयात को क्रय किया गया था। नामांतरकरण किये हुऐ कई लगभग 40 वर्ष साल से अधिक समय हो गये ना ही उक्त नामान्तकरण की कोई अपील भी पेश नही किया है। ख.न. 1038 पर अप्रार्थी सं. 2 जलसिंह के नाम सही अंकन हो रहा है। अप्रार्थी सं 1 के काश्त में थी जिसको रहन, वय, मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार था। इसलिए उक्त अंकन संवत 2020 लगायत 2023 में खाता सं. 32 में सही अंकन हुआ है। उक्त आराजी पर एक दावा पूर्व में भी गंगाराम वगै. बनाम रामखिलाडी वगै. पेश किया जा चुका है जो आज भी अदालत में विचाराधीन है। इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र रेसज्यूडी केटा होने की वजह से प्रार्थना पत्र मेन्टनेबिल नही है। इस प्रकार कानूनी रूप से खातेदार को किसी प्रकार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। इसप्रकार प्रथमदृष्टया प्रइमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

1. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के हक में साबित है।
2. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द किया जाता है उनके खातेदारी अधिकारों का कुठारघात होगा जो अजीम क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर,नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर
05/02/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested